हुक्म या कार्यवाही मय इशारा...

तामिल हुकम	
05.10.2023	आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना... करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि... अनवान प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। इसलिए आज पक्ष... लिया जाकर उक्त मुकदमा में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने... कृपा करे। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन... किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रथम दृष्टया... मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना... प्रतीत होता है। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि **अप्रार्थीगण** आगामी तारीख पेशी 30.10.2023 तक तहसील श्रीकरणपुर के **राजस्व ग्राम 3 आर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 101/90 के मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 6.199 हैक्टेयर नहरी भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे अर्थात इसका किसी प्रकार से बेचान, रहन, हस्तान्तरण नहीं करे।** प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जावे। प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नही करने पर यह अन्तरिम अस्थाई स्थगन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यदि उक्त भूमि बैंक के रहन है तो बैंक मे राशि जमा कराने या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने व **राजस्थान कृषि साख परिचलन(कठिनाई निवारण) अधिनियम 1974 की** कार्यवाही पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नही होगा। पत्रावली दिनांक 30.10.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
२३/१०/२३	आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा मूलवाद में प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA नॉटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 05/10/२३ इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

Not Press
Unattended

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर))